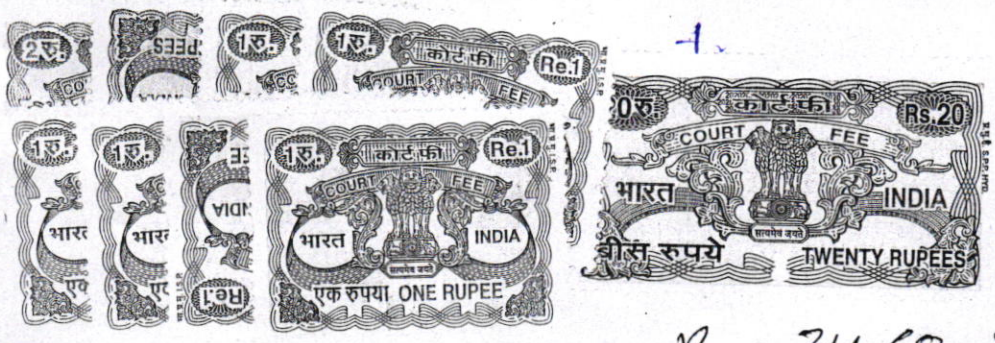

R-3468-I-16

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

1. कमल पिता सुखराम सौर (आदिवासी)
2. श्यामकरन पिता सुखराम सौर (आदिवासी)
3. गुलाबबाई पुत्री सुखराम सौर (आदिवासी)
4. चंदाबाई वेबा सुखराम सौर (आदिवासी)

सभी निवासी ग्राम दलपतपुर माजगुजारी
तह. खुरई जिला सागर म०प्र० ....आवेदकगण

//विरूद्ध//

म.प्र. शासन ....अनावेदक

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582-244808

निगरानी अंतर्गत् धारा-50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर सागर, जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 142/अ-21/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 27-07-15 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, मौजा दलपतपुर ग्रेन्ट हल्का 35 तह. खुरई स्थित भूमि खसरा नंबर 101/6 रकवा 0.80 हे0 भूमि के विक्रय करने तथा भूमि खसरा नंबर 135 व 138 क्रमशः 0.24, 0.35 हे0 कुल रकवा 0.59 हे0 भूमि को कय करने हेतु आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जो निरस्त किए जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।

3. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा विक्रय की जा रही भूमि असिंचित एवं एक फसलीय है तथा निवास स्थान के काफी दूर होने से उनके निवास स्थान के समीप स्थित भूमि को कय करने के उद्देश्य से भूमि विक्रय हेतु अनुमति चाही थी जिसके संबंध में सम्पूर्ण प्रक्रिया के तहत तहसीलदार खुरई एवं अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से अभिमत लिये जाने के उपरांत यह उल्लेख किया था कि आवेदक की भूमि पठारी मार्ग पर स्थित असिंचित एवं एक फसलीय है तथा किसी भी सहकारी संस्था में रहन नहीं भूमि का विकय सदभाविक बताते हुए अनुमति दिए जाने की अनुसंशा सहित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.3468-I-16 ..... जिला ..... सागर .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.10.16	1— आवेदकगण की ओर अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्षों के तर्क श्रवण किए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के प्र.क्र.142/अ—21/2014—15 में पारित आदेश दिनांक 27—07—15 से विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। इसमें आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति नहीं दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। 2— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक को मौजा दलपतपुर हल्का नं. 35 खसरा नंबर 101/6 रकवा 0.80 हे0 का पट्टा प्रदान किया गया था जिसके विक्रय किए जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजों सहित न्यायालय कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसे बिना किसी युक्त युक्त आधार के निरस्त किया है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है आवेदक द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु जो आवेदन पत्र प्रसतुत किया था वह भूमि असिंचित एवं अन्य ग्राम में काफी दूरी पर होने के कारण कृषि कार्य में असुविधा होने के आधार पर प्रस्तुत किया था तथा यह भी उल्लेख किया था कि वे ग्राम के समीप की सिंचित कृषि योग्य भूमि क्रय कर रहे इस बावत् उन्होंने विधिवत निष्पादित इकरारनामा की प्रति भी प्रस्तुत कर अनुमति चाही थी जिसके कारण वह भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आने से उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है। 3— उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र इस आधार पर आवेदन निरस्त किया है कि विक्रय की जा रही भूमि की दूरी मात्र 4—5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है एवं कय की जाने वाली भूमि एच.डी. एफ.सी. बैंक शाखा बीना में बंधक है जबकि आवेदकगण उक्त भूमि के विक्रय उपरांत अपने निवासरत् ग्राम की सिंचित भूमि को क्रय कर रहे है तथा क्रय की जाने वाली	

निगरानी 3468-II/16 (सागर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	भूमि को बंधक मुक्त किया जा चुका है। इस कारण उन्होंने अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है। 4— आवेदक के तर्कों पर विचार किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है। कलेक्टर सागर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि की अनुमति देने से इंकार किया है कि आवेदक द्वारा बताई गई दूरी ज्यादा नहीं है तथा कय की जाने वाली भूमि एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा बीना में बंधक है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष आवेदक द्वारा कलेक्टर सागर के समक्ष भूमि विक्रय हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ में उचित है। परंतु चूंकि आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथपत्र एवं वर्ष 2014—15 के खसरा पांचसाला की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसके अनुसार क्रय की जाने वाली भूमि पर एच.डी.एफ.सी. बैंक बीना द्वारा दिनांक 22.07.15 को बंधक मुक्त किया जा चुका है। तथा आवेदक प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर अपने निवास स्थान के समीप सिंचित भूमि क्रय करने बावत् शपथपत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है। अतः प्रकरण में समग्र परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत तथा प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रसतुत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है कलेक्टर जिला सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.15 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम दलपतपुर हल्का नंबर 35 भूमि खसरा नंबर 101/6 रकवा 0.80 हे0 भूमि के विक्रय की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि, उसके स्थान पर आवदेक निष्पादित इकरारनामा अनुसार भूमि खसरा नंबर 135 व 138 रकवा क्रमशः 0.24, 0.35 हे0 कुल रकवा 0.59 हे0 भूमि कम से कम क्रय करेगा। तथा दोनों का पंजीयन एक साथ कराना अनिवार्य होगा। उपपंजीयक — विक्रय—विलेख संपादित होनें के दौरान शासन द्वारा प्रचलित गाईड लाइन के मान से विक्रेता को विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं — संतुष्टि उपरांत विक्रय विलेख संपादित करें। सदस्य	